न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 24/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 जाकिर हुसैन पुत्र असगर अली (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्सः– असगर अली आरी हसन, सदर बाजार, बासनी, जिला नागौर। 2 अशोक कुमार जैन(प्रोपराईटर) मैसर्स सरावगी ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी नागौर। 3 अभिषेक गर्ग (प्रोपराईटर) मैसर्सः– अभिषेक एग्रोटेक, जी–230 मण्डोर, इण्डस्ट्रीयल एरीया, जोधपुर। 4 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा (नोमिनी) मैसर्सः– भोलेबाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीयल दुकान नम्बर 3–4, प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 177/29, 80 फीट रोड, मान नगर योजना, मानगरा पुंजला जिला जोधपुर। 5 मैसर्सः– भोलेबाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीयल दुकान नम्बर 3–4, प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 177/29, 80 फीट रोड, मान नगर योजना, मानगरा पुंजला जिला जोधपुर।

आदेश दिनांक :18.09.2024

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 21-02-2023 को मैसर्स असगर अली आरी हसन, सदर बाजार, बासनी, जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2128 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/149/एक्ट/2023 /176 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण जाकिर हुसैन पुत्र असगर अली, अशोक कुमार जैन, अभिषेक गर्ग, धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा तथा भोलेबाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीयल दुकान नम्बर 3–4, प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 177/29, 80 फीट रोड, मान नगर योजना, मानगरा पुंजला जिला जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 27-07-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.09.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से घी (कृष्णा ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त घी (कृष्णा ब्राण्ड), मैसर्स सरावगी ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी नागौर से खरीदा था। अप्रार्थी संख्या 02 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स असगर अली आरी सदन बाजार, बासनी नागौर से घी (कृष्णा ब्राण्ड) का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त घी (कृष्णा ब्राण्ड) मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था, परन्तु उक्त घी (कृष्णा ब्राण्ड) मैसर्स अभिषेक एग्रोटेक, जी–230 मण्डोर, इण्डस्ट्रीयल एरीया, जोधपुर से खरीदा था। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स असगर अली आरी सदन बाजार, बासनी नागौर से घी (कृष्णा ब्राण्ड) का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त घी (कृष्णा ब्राण्ड) मेरी फर्म द्वारा सरावगी ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी नागौर को बेचा गया था, परन्तु उक्त घी (कृष्णा ब्राण्ड) भोलेबाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीयल दुकान नम्बर 3–4, प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 177/29, 80 फीट रोड, मान नगर योजना, मानगरा पुंजला जिला जोधपुर के यहां से खरीदा

18/9/24
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

था। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स असगर अली आरी सदन बाजार, बासनी नागौर से घी (कृष्णा ब्राण्ड) का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त घी (कृष्णा ब्राण्ड) मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था। अप्रार्थीगण ने बताया कि भविष्य में खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेगें। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक क्रमांक एलएस/149/एक्ट/2023 /176 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (कृष्णा ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 जाकिर हुसैन पुत्र असगर अली, अप्रार्थी संख्या 02 अशोक कुमार जैन, अप्रार्थी संख्या 03 अभिषेक गर्ग, अप्रार्थी संख्या 04 धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा तथा अप्रार्थी संख्या 05 भोलेबाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीयल दुकान नम्बर 3–4, प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 177/29, 80 फीट रोड, मान नगर योजना, मानगरा पुंजला जिला जोधपुर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/24

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)